



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01032023-244028
CG-DL-E-01032023-244028

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 941]
No. 941]

नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 1, 2023/फाल्गुन 10, 1944
NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 1, 2023/PHALGUNA 10, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 मार्च, 2023

का.आ. 978(अ).—केन्द्रीय सरकार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में तदनुसूची प्रविष्टि में यथाविनिर्दिष्ट राष्ट्रीय राजमार्ग के कॉलम (2) में यथाविनिर्दिष्ट खंड के अनुसार निम्नलिखित तालिका के कॉलम (3) में यथा-विनिर्दिष्ट, राष्ट्रीय राजमार्ग खंड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को सौंपती है, नामतः:-

तालिका

राष्ट्रीय राजमार्ग सं. (1)	राष्ट्रीय राजमार्ग का खंड (2)	चैनेज/ लंबाई किमी में (3)
72(पुराना) 7(नया)	पोंटा साहिब- हिमाचल प्रदेश/उत्तराखंड सीमा (हिमाचल प्रदेश राज्य में)	किमी 97.000 से किमी 103.400
72(पुराना) 7(नया)	हिमाचल प्रदेश/उत्तराखंड सीमा - बल्लूपुर (देहरादून) (उत्तराखंड राज्य में)	किमी 103.400 से किमी 148.000
7(नया)	भनियावाला-जौलीग्रॉन्ट-ऋषिकेश से नए रारा-7 का स्पर (उत्तराखंड राज्य में)	20.62 किमी

[फा. सं. एनएच-14013/17/2022-पी एण्ड एम]

अभय जैन, उप सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2023

S.O. 978(E).— In exercise of the powers conferred by section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government hereby entrusts the stretch of national Highways, as specified in column (3) of the Table below, of the section as specified in column (2) of the National Highways as specified in the corresponding entry in column (1) of the said Table, to the National Highways Authority of India, namely: -

TABLE

National Highways No. (1)	Section of National Highways (2)	Chainage/ length in km (3)
72(old) 7(new)	Paonta Sahib- Himachal Pradesh/Uttarakhand border (In the state of Himachal Pradesh)	km 97.000 to km 103.400
72(old) 7(new)	Himachal Pradesh/Uttarakhand border - Ballupur (Dehradun) (In the state of Uttarakhand)	Km 103.400 to km 148.000
7(new)	Spur of New NH-7 from Bhaniyawala- Jauligrant- Rishikesh (In the state of Uttarakhand)	20.62 km

[F. No. NH-14013/17/2022-P&M]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली 1 मार्च, 2023

का.आ. 979(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा निदेश देती है कि इसके साथ संलग्न तालिका के कॉलम (2) में वर्णित प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित कार्यों का निष्पादन करने के संबंध में प्रत्येक राष्ट्रीय राजमार्ग के सामने तालिका के कॉलम (3) में विनिर्धारित कार्य इस शर्त के अधीन राज्य सरकारों द्वारा पूरे किए जाएंगे कि संबंधित राज्य सरकार उक्त अधिनियम के अधीन वर्तमान में लागू नियमों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कार्यों को करने के लिए बाध्य होंगी और उस प्रयोजनार्थ तत्कालीन पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 1096 (अ), दिनांक 4 अगस्त, 2005 में एतद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में, क्रम सं. 9 और 23 के लिए तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

तालिका

(1)	(2)	(3)
"9"	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 20, [किमी 11.00 से किमी 208.00 को छोड़कर], सं. 20ए, सं. 21ए [किमी 17.00 से किमी 35.00 तक को छोड़कर], सं. 22 [किमी 337.140 से किमी 368.340 (वांगटू - पोवारी जंक्शन खंड) किंतु सीमा सड़क विकास बोर्ड को सुपुर्द किए गए खंडों और किमी 62.200 से किमी 156.507 (हरियाणा/हिमाचल सीमा - सोलन - कैथिलीघाट - शिमला बाइपास खंड) तक को छोड़कर], सं. 70, सं. 72 [किमी 97.00 से किमी 103.400 (पोंटा साहिब - हिमाचल प्रदेश/उत्तराखंड सीमा खंड) तक को छोड़कर], सं. 72बी, सं. 73ए, नई रारा सं. 154ए, नई रारा सं. 305, नई सं. 503, (मतौर - धर्मशाला - मैकलॉयडगंज खंड) और नई रारा सं. 503वि., नई रारा सं. 503ए, नई रारा सं. 505ए, नई रारा सं. 705 और नई रारा सं. 907ए के उतने भाग जो कि हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है।	हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार"

23	राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 58 {किमी 218.000 से किमी 368.000 रुद्रप्रयाग बाइपास सहित}, सं. 72 [किमी 103.400 सं किमी 148.000 (हिमाचल प्रदेश/उत्तराखंड सीमा – बल्लूपुर (देहरादून) और किमी 165.000 से किमी 196.825 (नेपाली फार्म – देहरादून खंड) तक को छोड़कर], नई रारा सं. 307 (रारा सं. 72ए विस्तार) [किमी 34.900 से किमी 38.600 उत्तराखंड/उ.प्र.सीमा-आशारोरी खंड) तक खंड को छोड़कर], सं. 87 {रामपुर से काठगोदाम खंड के किमी 43.30 से (उत्तर प्रदेश/उत्तराखंड सीमा) से किमी 88.00 (काठगोदाम) तक खंड को छोड़कर}, सं. 87 वि. {सिमली से कर्ण प्रयाग (7.00 किमी) खंड को छोड़कर}, सं. 94 (किमी 123 से किमी 218 (यमनोत्री के निकट धरासू से कुठनौर), सं. 109 (रुद्रप्रयाग - गौरीकुंड), सं. 119, सं. 121, सं. 123, सं. 125 {किमी 0.000 से किमी 52.200 (सितारगंज – टनकपुर खंड) तक खंड को छोड़कर}, नई रारा सं. 107ए, नई रारा सं. 309ए, नई रारा सं. 309बी, नई रारा सं. 334ए और नई रारा सं. 707ए के उतने भाग जो उत्तराखंड राज्य में अवस्थित हैं।	उत्तराखंड राज्य सरकार
----	--	-----------------------

[फा. सं. एनएच-14013/17/2022-पी एण्ड एम]

अभय जैन, उप सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना को का.आ. 1096 (अ), तारीख 04 अगस्त, 2005 द्वारा प्रकाशित किया गया था और उसे पिछली बार का.आ.-203(अ), तारीख 12 जनवरी, 2023 द्वारा संशोधित किया गया था।

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st March, 2023

S.O. 979(E).— In exercise of the powers conferred by section 5 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby directs that the functions in relation to the execution of works pertaining to each of the National Highways described in column (2) of the Table hereto annexed shall be exercisable by the State Government specified in column (3) of the Table against each highway subject to the condition that the State Government concerned shall in the exercise of such functions be bound to comply with the rules for the time being in force under the said Act and for that purpose makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Shipping, Road Transport and Highways (Department of Road Transport and Highways) number S.O 1096(E), dated the 4th August, 2005, namely:-

In the said notification, in the Schedule, for serial number 9 & 23 and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely: -

TABLE

(1)	(2)	(3)
“9	So much of National Highways No. 20[excluding km 11.00 to km 208.00] No. 20A, No. 21A [excluding from km 17.00 to km 35.00], No.22 [including from km. 337.140 to km. 368.340 (Wangtu-Powari junction section) but excluding the stretches entrusted to Border Road Development Board and from km. 62.200 to Km. 156.507 (Haryana/Himachal Border-Solan-Kaithlighat – Shimla Bypass section)] No.70, No.72 [excluding from km 97.000 to km 103.400 (Paonta Sahib- Himachal Pradesh/Uttarakhand border section)] , No. 72B, No.73A, new NH No. 154A, new NH No. 305, new No. 503 (Mataur-Dharamshala- Macleodganj section) and new NH No. 503 Extn, New NH No. 503A, New NH No. 505A , new NH No.705, and new NH No. 907A as are situated within the State of Himachal Pradesh.	State Government of Himachal Pradesh”
23	So much of National Highways No.58 {(km 218.000 to km 368.000) including Rudraprayag bypass}, No.72 [excluding from Km 103.400 to km 148.000 (Himachal Pradesh/Uttarakhand	State Government of

border - Ballupur (Dehradun) and from km165.000 to km 196.825 (Nepali Farm- Dehradun section)], new NH No. 307 (ext. NH No. 72A) [excluding from km 34.900 to km 38.600 (Uttarakhand/U.P. Border – Asharori section)], No. 87 {excluding Rampur to Kathkodam section from km. 43.30 (Uttar Pradesh/Uttarakhand Border) to km. 88.00 (Kathgodam)}, No. 87 Extn {excluding from Simli to KarnaPrayag (7.00 kms)}, No. 94 [from Km. 123 to Km. 218 (Dharasu to Kuthnaur near Yamnotri)], No. 109 (Rudraprayag- Gaurikund), No. 119, No. 121, No. 123, No. 125 {excluding from km. 0.000 to km. 52.200 (Sitarganj-Tanakpur section)}, new NH No. 107A, new NH No. 309A, new NH No. 309B, new NH No. 334A and new NH No. 707A as are situated within the State of Uttarakhand.	Uttarakhand”
--	--------------

[F. No. NH-14013/17/2022-P&M]

ABHAY JAIN, Dy. Secy.

Note: - The principal notification was published vide number S.O.1096 (E), dated the 4th August, 2005 and was last amended vide number S.O. 203 (E), dated the 12th January, 2023.